रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2017/पौष 22, 1938
No. 107] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2017/PAUSA 22, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2017

का.आ. 118(अ).—दिल्ली में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर गंभीर चिंता का विषय रहा है तथा प्रदूषण स्तरों में लगातार हो रही वृद्धि के विशेष संदर्भ में इस समस्या के निराकरण के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है;

भारत सरकार द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के अनुसार विभिन्न स्तरों के वायु प्रदूषण के निदान के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तारीख 25 नवम्बर, 2016 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान और उपयुक्त उपाय प्रस्तुत किए गए थे जिनमें और उपांतरण किया गया था;

और जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 के आदेश में केंद्रीय सरकार को निदेश दिया कि वह ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान की जांच करके पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन उपयुक्त अधिसूचना जारी करे;

और जबकि मामले की जांच की गई है तथा उस पर विधिवत् विचार करने के बाद केंद्रीय सरकार यह उपयुक्त समझती है कि उपर्युक्त आदेशों के अनुसरण में एक उपाय के रूप में ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान के कार्यान्वयन का कार्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'ईपीसीए' कहा गया है) को सौंपा जाए;

अत: अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (1) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार एतदद्वारा तारीख 29 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 93 (अ) के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (3) के अधीन स्थापित तथा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर पुनर्गठित ईपीसीए को ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान के कार्यान्वयन का कार्य सौंपती हैं।

[फा. सं. क्यू-18011/13/2000-सीपीए]

अरूण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2017

S.O. 118(E).—Whereas high level of air pollution in Delhi and National Capital Region of Delhi has been a matter of serious concern and requires urgent measures to address the issue, particularly with reference to episodic rises in pollution levels;

And whereas a Graded Response Action Plan and appropriate measure to address different levels of air pollution as per National Air Quality Index (AQI) adopted by Government of India was submitted by the Central Pollution Control Board on the 25th November, 2016 before the Hon'ble Supreme Court which was further modified;

And whereas the Hon'ble Supreme Court in its order dated the 2nd December, 2016 has directed the Central Government to examine the Graded Response Action Plan and issue appropriate notification under sub-section (1) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

And whereas the matter has been examined, and after due consideration the Central Government considers it appropriate to entrust the task of implementing the Graded Response Action Plan as a measure under sub-section (1) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) to the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (hereinafter referred to as 'EPCA') in compliance of the aforesaid orders;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby assigns the task of implementation of the Graded Response Action Plan to the EPCA established under sub-section (3) of section 3 of the said Act vide notification number S.O.93 (E), dated the 29th January, 1998 and re-constituted from time to time by the Central Government.

[F. No. Q-18011/13/2000-CPA]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date 2017.01.13 18:38:25 +05'30'